फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

भीखुकंवर
बनाम
राणसिंह वगै.

किस्म मुकदमा 225 आर.टी एक्ट

न. 22 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.2025	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 137/2024 बअनवान भीखुकंवर बनाम राणसिंह वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2025 के विरूद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर अधिवक्ता अपीलांटस की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटन ने स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर पेश आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 का अवलोकन किये बिना पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय की मंशा सजगता से न्यायिक कार्यवाही व स्पष्ट आदेश की कतई नहीं रही हैं, बल्कि येनकेन प्रकरेण जल्दबाजी से उक्त द्विअर्थी आदेश पारित किया गया। न्यायालय श्री ने यह भी गौर नहीं किया कि जब पूर्व में जारी अंतरिम आदेश के मूल आवेदन पत्र के तथ्यों में वर्णित आराजी के साथ अन्य आराजी जोड़कर पेश आवेदन–पत्र अनुतोष को स्वीकार कर प्रकरण का शीर्षक भाग में स्थापित कर लिया है तब कानूनन पूर्व का पारित अंतरिम आदेश तदनुसार संशोधित किया जाना स्वंयमेव आवश्यक है, क्योकि पूर्व में जारी अंतरिम आदेश स्वयंमेव अर्थहीन व निष्प्रभावी हो जाता है, एवं आदेशिका अपने आप में द्विअर्थी हो जायेगी और अंकित द्विअर्थी आदेशिका से विप्रार्थीगण को गलत इन्टरपिटेशन का अवसर पैदा करता है। ऐसे संदिग्ध अंकन के जरिये दुराशयपूर्ण ढंग से न्यायालय का दुरूपयोग कर प्रतिपक्षी के वैध अधिकारों पर कुठाराघात होना संभाव्य है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटस का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सी पी सी को अपीलाधीन आदेश के जरिये स्वीकार किया जाकर संशोधित आवेदन को रेकर्ड पर लिया जाता है जबकि हस्तगत आवेदन में अंकित खसरों के संबंध में किसी प्रकार का आदेश/संशोधित आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जाता है। उपरोक्त आवेदन स्वीकार होने के पश्चात प्रथम दृष्टया न्यायालय का कर्तव्य बनता है कि	

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवेदन अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करे इसलिए व्यादेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हितों पर कुठाराघात होना संभाव्य है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन तथा तथ्यों के आलोक में अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे मौजा सेगड़ी पटवार क्षेत्र राणीगांव तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 10 रकबा 6.1755 हैक्टयेर, खसरा संख्या 8 रकबा 2.2177 हैक्टयेर, खसरा संख्या 110 रकबा 21.7559 हैक्टयेर व खसरा संख्या 166 रकबा 6.2725 हैक्टयेर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। शेष भूमि के संबंध में व्यादेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया वो प्रभाव में है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो आदेश सरे इजलास सुनाया गया। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे।

25/2/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर